कार्यालय : जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा (अम्बिकापुर)

// कार्यालय आदेश //

क्रमांक-**70**/दो-11-1/2022 अम्बिकापुर दिनांक 01 अप्रैल 2024

इस स्थापना में रिक्त पदों के संबंध में जारी विज्ञापन क्रमांक-1078/दो-11-1/2023 दिनांक 05.07.2023 के अनुक्रम में जारी प्रतीक्षा सूची से वरिष्ठता और वर्ग के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों की नियुक्ति **स्टेनो-टायपिस्ट** के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-4 (19500-62000) पर अस्थाई रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 (तीन) वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है :-

सरल क्रमांक	अनुक्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पता	अभ्यर्थी का वर्ग	चयनित संवर्ग
1	*ST0097*	प्रशांत कुमार आ0 श्री संतराम पता-ग्राम व पोस्ट धनेली (दर्रीपारा) तह-भाटापारा, जिला-बलौदाबाजार पिन नं.-493118	अनु0 जनजाति	अनु0 जनजाति

टीप : **चयनित अभ्यर्थी कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा (अम्बिकापुर) में कार्यभार ग्रहण करेंगे।**

-: नियुक्ति एवं सेवा की शर्तें :-

(1) उक्त नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में प्रस्तुत एस.एल. पी.(सी) क्रमांक-19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होगी।

(2) कार्यभार ग्रहण करते समय आवेदक आवश्यक रूप से शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाणपत्र एवं अन्य समर्थित दस्तावेज की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करेगे, साथ ही अवलोकन हेतु मूल प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करेंगे, जिसके सत्यापन के पश्चात कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जावेगी।

(3) आवेदक जिला चिकित्सा बोर्ड/सक्षम चिकित्सकीय प्राधिकारी से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा कि वह शासकीय सेवा हेतु शारीरिक रूप से सक्षम (फीट) है, तभी कार्यभार ग्रहण करने दिया जावेगा।

(4) नियुक्ति के समय पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन हेतु अनुप्रमाणन फार्म पूर्ति कर 03 प्रतियों में शपथपत्र सहित पेश करेगा, यदि चरित्र सत्यापन में शासकीय सेवा के लिए अनुपयुक्त पाया गया तो सेवाएँ तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी।

(5) कर्मचारी कें परिवीक्षा अवधि में किसी भी पक्ष द्वारा एक माह पूर्व नोटिस अथवा एक माह का वेतन व भत्ते देकर सेवा समाप्त की जा सकेगी।

(6) सेवा में प्रथम वर्ष में उच्च शिक्षा हेतु अध्ययन के लिये अनुमति नहीं दी जावेगी तथा कार्यालय प्रमुख की अनुमति उपरांत ही उच्च शिक्षा हेतु आवेदन अथवा अध्ययन प्रारंभ की जा सकेगी।

(7) नियुक्ति प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त किये बगैर किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा।

(8) शैक्षणिक तथा अन्य योग्यता संबंधी प्रमाणपत्र किसी भी स्तर पर असत्य अथवा अमान्य पाये जाने पर अथवा अन्य किसी युक्तियुक्त कारणों से नियुक्ति निरस्त करने योग्य पाये जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से बिना पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकेगी।

(9) **नवनियुक्त कर्मचारी को नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है। निर्धारित समयावधि के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं किये जाने की स्थिति में नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।**

(10) आवेदक की पदस्थापना जिला स्थापना-सरगुजा के क्षेत्राधिकार अंतर्गत किसी भी न्यायालय अथवा अनुभाग में की जा सकती है।

(11) नियुक्त कर्मचारी की परिवीक्षा अवधि में कार्य, व्यवहार एवं आचरण संतोषजनक नहीं पाए जाने पर अथवा अन्य कारणों से उनकी सेवाएँ एक माह का नोटिस देकर बिना कोई कारण बताए समाप्त की जा सकेगी।

(12) आरक्षित वर्ग के विरूद्ध चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक-एफ 13-4/2006/आ.प्र./1-3 दिनांक 23.06.2013 में संलग्न प्रारूप के अनुसार शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(13) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी 03 माह की अवधि के भीतर राज्य शासन की उच्च स्तरीय छानबीन समिति द्वारा जाति प्रमाण-पत्र सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करना होगा।

(14) नियुक्ति आदेश के क्रमानुसार ही वरिष्ठता क्रम निर्धारित होगी।

Sd/-

(राम कुमार तिवारी)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सरगुजा (अम्बिकापुर)

पृष्ठांकन क्रमांक-631/दो-11-1/2022 अम्बिकापुर दिनांक 03 अप्रैल 2024

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय छ0ग0 बिलासपुर की ओर माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक-7344 /तीन-18-27/2023 बिलासपुर दिनांक 23.06.2023 के परिपेक्ष्य में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. चयनित उम्मीदवार.. .... (छ0ग0) की ओर पालनार्थ प्रेषित।
3. लेखापाल/देयक लिपिक/ऑफिस मोहर्रिर, सरगुजा (अम्बिकापुर) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. सहायक प्रोग्रामर, जिला न्यायालय, अम्बिकापुर की ओर जिला न्यायालय के वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु अग्रेषित।

3.4.24

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सरगुजा (अम्बिकापुर)